न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

रैफरेंस प्रकरण संख्या :- 249/2013

सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील शाहपुरा (जयपुर) राज0

बनाम

प्रार्थी

1. सूरजा पुत्र नारायण।
2. रामजीलाल पुत्र सूरजा जाति गुर्जर निवासी बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट इन्द्राज दुरूस्ती।

निर्णय

दिनांक 10.7.20

तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी तहसीलदार शाहपुरा की ओर से रैफरेंस प्रार्थना पत्र निम्मन भांति पेश किया है।

1. यह है कि ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 260 कुल किता 1 का रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.90 है. वर्तमान मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि उक्त वर्णित भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 तक के खाते मे 113 पर कालम नम्बर 6 से 8 की स्थिति से स्पष्ट है कि विवादित भूमि गै0 मु0 नदी/नाला के नाम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि की खातेदारी सुरजा पुत्र नारायण, रामजीलाल पुत्र सुरजा गुर्जर के नाम दर्ज कर दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त वर्णित भूमि गै0 मु0 नदी नाला की जो गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई उसे वापिस नदी/नाला के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।
3. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत रैफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाई जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया इनकी ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एड. उपस्थित आये तथा उपस्थित आकर दिनांक 09.01.2015 को जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
4. प्रकरण मे अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with CamScanner

5. प्रकरण मे बहस सुनी गई प्रार्थी पैरोकार सरकार का कथन है कि ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 260 कुल किता 1 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसे कि हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.90 है0 वर्तमान मे अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि सम्वत 2008 से 2027 तक खाता संख्या 113 पर कालम संख्या 6 से 8 तक की स्थिति से स्पष्ट है कि विवादित गै0मु0 नदी/नाला के नाम दर्ज रिकार्ड है जो अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड है। उसे वापिस नदी/नाला के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

6. वकील अप्रार्थीगण की ओर से वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रकरण मे लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रैफरेंस प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट तथ्य के आधार पर पेश किया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 351/0.90 है0 ग्राम बिदार साबिक खसरा नम्बर 260, नही बल्कि साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग है। साबिक खसरा नम्बर 261 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसे अप्रार्थीगण ने पूर्व खातेदार से दिनांक 24.05.82 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद की थी तब से अप्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि पर कब्जा है। हाल सैटलमेंट मे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 261 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 352/0.83, 353/0.18, 351/1690/0.66, 884/1691/0.40 कुल किता 4 रकबा 2.07 है0 निर्धारित कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित की गई जबकि हाल खसरा नम्बर 351/1690/0.66 है0 को जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 261 मि. से बनना दर्शाती है। वह साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के विपरीत है। जबकि हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है0 साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग है गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 260 से बनना दर्शाया जाकर उनकी खातेदारी श्री नारायण पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी बिदारा के नाम अंकित कर दी। जिसकी दुरूस्ती बाबत अप्रार्थीगण ने एसडीओ शाहपुरा के यहां वाद उनवानी सूरजा बनाम श्री नारायण वगैरह वाद संख्या 187/2002 दायर किया जिसका न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री 31.07.2004 द्वारा जरिये राजीनामा निर्णय पारित किया गया कि हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है0 ग्राम बिदारा को साबिक खसरा नम्बर 261 से हाल खसरा नम्बर 351/1690/0.66 वाकेग्राम बिदारा को साबिक खसरा नम्बर 260 से बनना घोषित करते हुए हाल खसरा नम्बर 351/0.90 वादीगण सुरजा पुत्र नारायण , रामजीलाल पुत्र सूरजा को तथा खसरा नम्बर 351/1690/0.66 का प्रतिवादी श्री नारायण पुत्र श्योनाथ गुर्जर सा.देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, के आदेश पारित करते हुए है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है0 साबिक खसरा नम्बर 260 का भाग नही होना प्रमाणित है। हाल खसरा नम्बर 351 साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग है। साबिक खसरा नम्बर 261 कभी भी गै. मु. नाला नही रहा है बल्कि खातेदारी भूमि रही है। जिसे अप्रार्थीगण ने जरिये विकय पत्र खरीद की है। हाल खसरा नम्बर 351 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.04 की पालना मे साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग मानते हुए दर्ज हुई

Scanned with CamScanner

है। उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन नाला नही रही है। ना ही गैर मुमकिन नाला/नदी का विक्रय पत्र हुआ है। प्रार्थी तहसीलदार शाहपुरा द्वारा सैटलमेंट की कार्यवाही होने के 30 वर्ष पश्चात रैफरेंस प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। आराजी खसरा नम्बर 261 को अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.05.1982 को जरिये विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तब से काबिज रहकर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान मे भी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। 261 के हाल खसरा नम्बर 352, 353, 351, 884/1619 बनने चाहिए जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। खसरा नम्बर 352 मे अप्रार्थीगण द्वारा कोठी का निर्माण भी करवा रखा है। हाल खसरा नम्बर 351 साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग होना चाहिए जो गलत रूप से साबिक खसरा नम्बर 260 का भाग मानकर अप्रार्थी नारायण पुत्र श्योनाथ गुर्जर निवासी बिदारा की खातेदारी मे अंकित कर दिया जो गलत है। हाल खसरा नम्बर 351/1690/0.66 है0 साबिक खसरा नम्बर 261 से बनना बताया है। जो गलत है जबकि वास्तव में यह साबिक खसरा नम्बर 260 का भाग है। जिस पर श्री नारायण का कब्जा है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी निर्णय व डिक्री के तहत दुरूस्त की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2004 के द्वारा निर्णित की है। अतः रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः खारिज फरमाया जावे।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य सबूत अवलोकन किया गया, अवलोकन से पाया कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अन्तर्गत धारा रैफरेंस प्रकरण 82 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बिदारा के आराजी खसरा नम्बर 260 किता1 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 351 रकबा 0.90 है0 जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। सम्वत 2008 से 2027 तक खाता संख्या 113 पर कालम संख्या 6 से 8 तक स्थिति अनुसार उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 351/0.90 नदी/नाला के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसे वापिस नदी/नाला के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 351/0.90 है. वाके मौजा बिदारा तहसील शाहपुरा साबिक खसरा नम्बर 261 से बना है। ना कि साबिक खसरा नम्बर 260 से बना है। साबिक खसरा नम्बर 261 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जो अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व खातेदार से दिनांक 24.05.82 को जरिये विक्रय पत्र से खरीद की है। हाल सेटलमेंट के दौरान अप्रार्थीगण की खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 261 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 352/0.83, 353/0.18, 351/1690/0.66, 884/1691/0.40 किता 4 रकबा 2.07 है. निर्धारित कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित कर दी जबकि उक्त खसरा नम्बर 351/1690/0.66 साबिक खसरा नम्बर 260 का भाग है तथा खसरा नम्बर 351/0.90 साबिक खसरा नम्बर 261 का भाग है। उक्त खसरा नम्बर 351/1690/0. 66 तथा खसरा नम्बर 351/0.90 है. खातेदारी एक दूसरे के विवादित होने से उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां दुरूस्ती बाबत वाद संख्या 178/2002 सुरजा

(शाहपुरा)

Scanned with CamScanner

बनाम श्री नारायण दायर किया जिसका न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय एवं डिक्री 31.07.2004 द्वारा जरिये राजीनामा हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है. ग्राम बिदारा को साबिक खसरा नम्बर 261 से व हाल खसरा नम्बर 351/1690/0.66 वाकेग्राम बिदारा को साबिक खसरा नम्बर 260 से बनना घोषित करते हुए हाल खसरा नम्बर 351/0.90 वादीगण सुरजा पुत्र नारायण , रामजीलाल पुत्र सुरजा को तथा खसरा नम्बर 351/1690/0.60 का प्रतिवादी श्री नारायण पुत्र श्योनाथ गुर्जर सा. देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त निर्णय पारित किया गया। इससे स्पष्ट है हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है. साबिक खसरा नम्बर 261 वाके मौजा बिदारा से बना है। जबकि सैटलमेंट की गलती से हाल खसरा नम्बर 251/0.90 है. साबिक खसरा नम्बर 260 से बनना बताया है। जो गलत दर्शाया गया है। चूंकि वर्तमान मे ग्राम बिदारा के आराजी खसरा नम्बर 351/0.90 है0 सुरजा पुत्र नारायण ,रामजीलाल पुत्र सुरजा कोम गुर्जर सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जो नामान्तरण संख्या 782 मुताबिक डिक्री आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेशों की पालना मे नामान्तरण स्वीकृत होकर राजस्व हाल जमाबंदी मे अंकन हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां से भी वाद संख्या 178/2002 बउनवान सुरजा बनाम श्री नारायण निर्णय एवं डिक्री 31.07.2004 के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 351/0.90 है. साबिक खसरा नम्बर 261 से बनना घोषित करते हुए अप्रार्थीगण सुरजा पुत्र नारायण , रामजीलाल पुत्र सुरजा को खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो साबिक खसरा नम्बर 261 नदी/नाला का होना नही पाया जाता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.05.82 को साबिक खसरा नम्बर 261 की भूमि खरीद की है। इसलिए उक्त रैफरेंस प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया रैफरेंस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदारा शाहपुरा को इस आशय बाबत निर्णय की प्रति तहरीर के साथ जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9. यह निर्णय आज दिनांक 10.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner